ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है जो किसी जीव को चाहे वो भूमि, जल अथवा वायु का हो भय, पीड़ा अथवा, मृत्यु नहीं पहुँचाती

वर्ष V अंक 1. बसंत 2013
करुणा-मित्र
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

संपादकीय

प्राणियों पर हिंसा के लिये कौन उत्तरदायी ?

आप कभी ऐसे मांसाहारी व्यक्ति से मिले हैं, जोकि नियमित रूप से जिस पशु का मांस भक्षण करता हो, उसी एकाध पशु का भी गला काटने को वह तत्पर हो ? मैं तो नहीं मिला हूं।

ये वही लोग हैं, जिन्हें कसाई के द्वारा मारे गये विभिन्न प्राणियों के मांस का भक्षण करने में स्वाद आता है। अपनी मांस भक्षण की लालसा को पूरी करने के चक्कर में वे सुविधाजनक ढंग से यह भूला देते हैं कि ऐसे असंख्य मासूम प्राणियों के कत्ल के लिये वे उत्तरदायी हैं।

मांस, खाल, त्वचा, बाल, हड्डियाँ, अंग, खून और प्राणी के शरीर के अन्य हिस्सों की उत्पाद और गौण-उत्पाद के रूप में अत्यधिक मांग रहती है, जिसे बूचड़खानों और प्रोसेसिंग गृहों के द्वारा फौरन पूरा किया जाता है। इसके चलते ऐसे अलग व्यवसाय और निवेशकर्ता उभरे हैं, जो पशुओं के व्यापारी शोषण व उसके फलस्वरूप मिलने वाले धनलाभ के लिये उन्हें पण्य (वस्तु) के रूप में देखते हैं।

प्राणियों पर हिंसा के लिये कौन उत्तरदायी है ?

- वह व्यक्ति, जो ऐसी कंपनी में निवेश करता हो, जोकि मारने वाले उपकरण बनाता है। (छुरी, बंदुक, मछली पकड़ने के उपकरण, विष, आदि।)
- वह व्यक्ति, जो मारने वाले उपकरण बेचता है या बिक्री को बढ़ावा देता है। (इसमें ऐसी प्राणी कल्याण संस्था भी शामिल है, जो कसाईखाने में तथाकथित 'स्टन गन'- स्टन गन एक ऐसा उपकरण है, जो प्राणियों को बिजली का झटका देकर बेहोश करता है - के उपयोग को प्रोत्साहन देती है।)
- वह व्यक्ति, जो मारने वाला उपकरण खरीदता है अथवा उसकी खरीद के लिये भुगतान करता है। और वह व्यक्ति भी, जो ऐसे व्यवहार में से कमिशन लेता है।
- वह व्यक्ति, जो मारने के उद्देश्य से किसी भी प्राणी का पालन करता है, बेचता-खरीदता है या छल से फंसाता है।
- वह व्यक्ति, जो वस्तुतः वध का कार्य करता है। (प्राणी हत्या, शिकार, गोलीबारी, माहीगिरी-फिशिंग, आदि।)
- वह व्यक्ति, जो पशु हत्या को प्रत्यक्ष देखता है, या परोक्ष रूप से मारने वाले का आर्थिक निवेश के द्वारा या अन्यथा समर्थन करता है। (इनमें 'दया' मृत्यु को व्यवहार में लाने वाले संगठन भी सम्मिलित हैं।)
- वह व्यक्ति, जो पशु के मुर्दे बेचता है व जो ऐसी बिक्री से लाभान्वित होता है।
- वह व्यक्ति, जो मुर्दे को पकाता है या उस पर 'प्रक्रिया' करता है।
- वह व्यक्ति, जो मुर्दा खरीदता है।
- वह व्यक्ति, जो मुर्दा खाता है, उसका या उसके गौण-उत्पादों का प्रयोग करता है। (मांस, हड्डी, चमड़े, आदि।)
- वह व्यक्ति, जो मुर्दे को खाते हुए देखता है, अथवा उसे खाने वाले का समर्थन करता है,या परोक्ष रूप से प्राणिज पदार्थ के समावेश वाली सामग्री का प्रयोग करके उसका समर्थन करता है। (इसमें ऐसे माता-पिता भी शामिल हैं, जो अपनी संतानों की आर्थिक सहायता करते हैं, जिनकी शाकाहारी आचार-नीति संतानों की नीति से भिन्न है।)
- वह व्यक्ति, जो प्राणी-हत्या के प्रति उदासीन है और 'ऐसा तो चलता है' कह कर इसकी उपेक्षा करता है, चाहे वह स्वयं इसमें सम्मिलित न भी हो।

सारांश यह कि मांस-भक्षक स्वयं को यह कह कर दोषमुक्त नहीं कर सकता कि यदि वह नहीं खाता तो भी कोई और तो मांस खरीदता ही और उसके फलस्वरूप किसी भी सुरत में प्राणी तो मरते ही। ठीक इसी प्रकार, कसाई भी यह नहीं कह सकता कि मैं न मारता, तो अन्य कोई इसे मारता ही। तार्किक रूप से देखें तो यह मांग-आपूर्तिका मामला है। यदि मांग ही नहीं होगी तो आपूर्ति में स्वतः कमी आयेगी।

इसके आतिरिक्त, वह सामग्री मांस है, चमड़ा है या शरीर का अन्य हिस्सा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि, पशु को ज़िन्दा या मुर्दा खरीदते समय, उसके प्रत्येक अंग की कीमत चुकाई गई होती है।

संपर्क: editorkm@bwcindia.org

माँस और हड्डियाँ: क़त्ल और शव का विचार करें।

डौल्फिन

बिन्दु पारेख

दुनियाभर में उष्ण कटिबंध में पाये जाने वाले डौल्फिन दरियाई स्तनपायी जीव है, जो पोर्पोईज़ और व्हेल से निकट से संबंधित है। इन तीनों में डौल्फिन सुविकसित आवाज़, संप्रेषण और अन्य योग्यताओं के साथ मनुष्य-मित्रवत है। यह अत्यंत बुद्धिमान भी है। उदाहरणतया, वह किसी प्राणी और आयने में रहे उसके प्रतिबिंब में फर्क कर पाता है। वस्तुतः तमाम जीवित प्रजातियों में अपने शरीर के कद के हिसाब से सर्वाधिक बड़ा दिमाग इसीके पास है। वैज्ञानिक इस तथ्य को, उसकी इस शक्ति को संज्ञात्मक क्षमता के साथ जोड़ते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि डौल्फिन का क्रमिक विकास अच्छा होने से वे अच्छे चिकित्सक बने हैं। वे अन्य डौल्फिन की प्रसुति के दौरान सहायता करते हैं, समुद्र में खोये, डूब रहे अथवा शार्क के हमले में फंसे मनुष्यों को बचाने के लिये ये मशहूर हैं।

२००९ में राष्ट्रीय नदी गंगा घाटी प्राधिकरण के द्वारा डौल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किया गया था। इसके बावजूद, भारत के तटीय क्षेत्रों और नदियों में डौल्फिन का शिकार भी धडल्ले से चल रहा है। हालाँकि, हार्पून से शिकार होना बंद हो गया है । २०१२ में भारत में करीबन २५८७ डौल्फिन थे। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में कुल मिला कर ३०६१ थे। मादा डौल्फिन यौन - परिपक्वता १० वर्ष की आयु में पा जाती है, जबकि, नर ८ वर्ष की आयु में प्राप्त करते हैं। डौल्फिन की गर्भावस्था ९ से १० महिने की होती है। वे एक गर्भाधान में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। दो गर्भाधान के बीच २-३ साल की दूरी होती है। इसी कारण से उनकी वार्षिक मृत्यु दर १५० के फलस्वरूप होने वाली उनकी आबादी में कमी की पूर्ति नहीं हो पाती है।

मांस और तेल:

डौल्फिन का मांस उत्तर कन्नडा, कर्नाटका के कुमटा, अंकोला, कारवार और केनाकोना के मच्छी बाज़ार में खुलेआम बिकता है। डौल्फिन के मांस व तेल की बढ़ती मांग के चलते कुमटा से पनाजी तक के क्षेत्र में मछुआरों के द्वारा शिकार में वृद्धि होती जा रही है। फलतः अरबी समुद्र में पाई जाने वाली व वन्य जीवन अधिनियम, १९७२ की अधिसूचि १ में वर्गीकृत बोतलनासिका डौल्फिन की आबादी कम होती जा रही है। पुराने दिनों में डौल्फिन समुद्र के अंदर देखने के नज़ारे के स्थान पर अब मांस और तेल के लिये डौल्फिन के कत्ल के नज़ारे सामान्य हो गये हैं। उसका तेल स्थानीय औषधि व शक्तिदायी दवाई-निर्माण में प्रयुक्त होता है। तेल के पीड़ादायी जोड़ों की मालिश के काम में लाया जाता है।

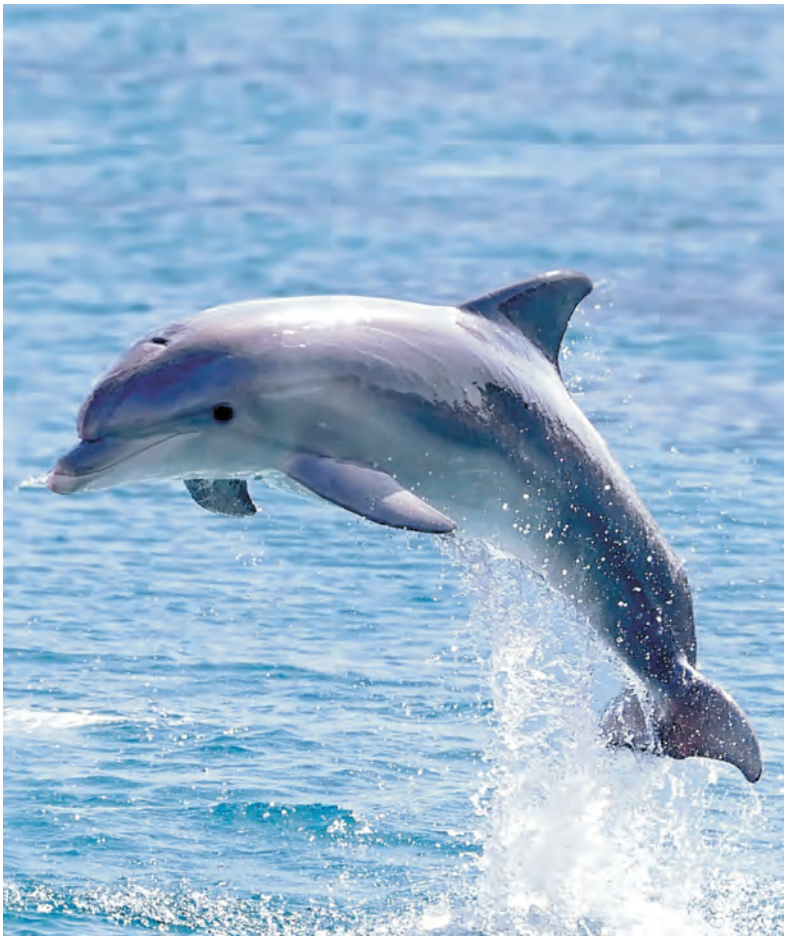

डौल्फिन : सर्वाधिक बड़े दिमाग वाला समझदार स्तनपायी जीव

डौल्फिन अन्य मछलियाँ मैकरेल, सार्डीन, सियर, पोम्फ्रेट, आदि के साथ तैरते हुए मछुआरों के जाल में जा फँसती हैं। कुछ आकस्मिक रूप से पकड़ी जाती हैं, कुछ मर जाती हैं। (कुछेक मछुआरे, जो डौल्फिन को भगवान स्वरूप मानते हैं, वे उन्हें फिर से पानी में छोड़ देते हैं।) प्रवाह के साथ बहते समय कहीं उनका वास्ता प्लास्टिक की थैलियों से पड़ता है। अध्ययन संकेत करते हैं कि ऐसे प्लास्टिक को वे गलती से जेली-फिश समझ कर निगल लेती हैं, और उनकी मौत हो जाती है।

डौल्फिन पर मनुष्यों द्वारा अत्याचार:

भारत में से ऐसे जहाज़ के द्वारा पकड़ी गई जिंगा मछलियों के आयात पर प्रतिबंध है, जिस जहाज़ पर टीईडी(टर्टल एक्सक्लुडर डिवाईस-अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कछुए को जाल में से स्वतः बाहर जाने की सुविधा देने वाले उपकरण से लैस मछली पकड़ने वाला जाल-) नहीं लगा हो। कछुओं व कुछ डौल्फिन की मौत का कारण महाजालयुक्त मछुआरे जहाज़ों के द्वारा अवैध

व अविचारी रूप से मछलियाँ पकड़ना बताया जाता है। कुछेक मछुआरों के अनुसार, लौह-अयस्क जैटी के कारण मछलियों को खाद्य की खोज में मजबूरन किनारे से सट कर रहना पड़ता है, और इस कारण से वे सरलतापूर्वक मनुष्यों का शिकार हो जाती हैं।

तमिलनाडु और केरल में मरी हुई डॉल्फिन का खास बाज़ार लगता है, जोकि मुख्यतया पर्यटकों के उपभोग के लिये रहता है। कद के आधार पर इसकी कीमत ₹ २०००/- से ₹ २५००/- तक रहती है। गोआ के कुछेक होटेल से डॉल्फिन का मांस ₹ ५००/- प्रति किलो तक के हिसाब से खरीदा जाता है।

विलुप्तप्रायः डॉल्फिन :

भारत में उपलब्ध डॉल्फिन की ३२ प्रकार की विभिन्न नस्लों में से 'गंगा डॉल्फिन' को नदी के वाहन के रूप में पूजा जाता है। यह भारत में पायी जाने वाली ३२ प्रजातियों में से विलुप्तप्रायः प्रजातियों में से एक है। 'नदी डॉल्फिन' ब्रह्मपुत्रा और गंगा व उनकी उपनदियों में रहती हैं। यहाँ तक कि असम में उसे असम का जल-प्राणी घोषित किया गया है। विक्रमशिला गंगा 'नदी डॉल्फिन' अभयारण्य, बिहार में भी उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। २२०० वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने उन दिनों पुपुटक के नाम से जानी जाने वाली 'गंगा डॉल्फिन' को मारना प्रतिबंधित किया था।

डॉल्फिन का तेल उसकी चर्बी की मोटी पर्त से निकलता है। तेल की मांग उसके मांस से अधिक रहती है। मुगल काल में लोग इस तेल से दिये जलाते थे। डॉल्फिन तेल का प्रयोग अभी भी असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में सामान्य रूप से मछुआरों के द्वारा किया जाता है, विशेषकर मछली पकड़ने के लिये चारे के रूप में।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरबी समुद्र में हो रहे सांध्य पर्यटन(क्रूज़) में डॉल्फिनेरियम की मुलाकात भी शामिल है। बहुत कम लोगों को छोड़ कर बाकी सब इसे अविचारी मानते हैं। अमरिका, जपान जैसे बहुत सारे देशों में डॉल्फिन और जल सिंह के करतब के तमाशे आयोजित किये जाते हैं, जोकि, अत्यधिक क्लोरिन वाले पानी में होने के कारण उनकी आँखों में दाह होता है। ऐसे करतब के लिये प्रशिक्षण और अनुशासन सिखाने की प्रक्रिया भूख पर आधारित होती है। प्रशिक्षण के दौरान क्रूरतापूर्ण व्यवहार, भूखा रखा जाना आम बातें हैं। बास्केट बोल में गैंद सही ढंग से पकड़/फैंक पाने पर मछली पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। अन्य एक करतब में जल सिंह डॉल्फिन को मछली खिलाता है। इस प्रकार हम खुद उन्हें हिंसक बनाते हैं। फलतः वे किसीको भी मारने की बात को स्वाभाविक मानते हैं। २०१० में फ्लोरिडा के सी वर्ल्ड में करतब के दौरान दर्शकों की उपस्थिति में ही १६ वर्षीय अनुभवी प्रशिक्षक को कीलर(खूनी) व्हेल ने निगल लिया था। इसके पूर्व इसी व्हेल ने दो और मनुष्यों को मारा था।

भारत में डोल्फिनेरियम की स्थापना का बीडबल्यूसी द्वारा विरोधः

विभिन्न देशों में डॉल्फिनेरियम की विफलता को देखने के बावजूद भारत में ऐसे दुःसाहस करने का उत्साह बना हुआ है। मुंबई, सिंधुदूर्ग,पूणे, चंडीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ, विशाखापटनम और बांगालुरु में डॉल्फिनेरियम/डॉल्फिन पार्क की स्थापना के लिये योजनाएं विचाराधीन हैं। जबकि, समूचे विश्व में ऐसे तमाशों के विरोध में आवाज़ें उठने लगी है, बीडबल्यूसी को अचरज़ होता है कि आखिरकार हमारे यहां यह सब किसके लाभार्थ हो रहा है। ये सब क्रूर योजनाएं हैं। इसका सार्वजनिक विरोध हो। बीडबल्यूसी इसके विरोध में है।

बीडबल्यूसी और अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरोध के चलते जनवरी २०१३ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देश पर भारतीय प्राणी कल्याण बोर्ड ने कोच्ची, सिंधुदूर्ग, नोइडा और मुंबई में डॉल्फिनेरियम की स्थापना की योजना के विरुद्ध चेतावनी दी है।

बिन्दु पारेख
बीडबल्यूसी की राजकोट स्थित कार्यकारिणी है।

hinsa vs. ahinsa

जैसे जंगल वन्य-पशुओं का निवास है,
उसी प्रकार डोल्फिन के लिए नदी है।

प्राणी संग्रहालय कैदखाने हैं, और मछलीघर कारागार हैं।
किसी भी प्राणी, पक्षी या जलचर को आजीवन कारावास नहीं देना चाहिए।

मछलीघर और डोल्फिन-पार्क की
स्थापना की भर्त्सना करें।

पूरण पोली (२० पोली)

सामग्री:

५०० ग्राम	चना दाल
२.५ लिटर	पानी
१ बड़ा चम्मच	सोंठ
१ बड़ा चम्मच	सौंफ
२/३	ईलायची
१ बड़ा चम्मच	जायफल पाउडर
३५० ग्राम	गुड़
२५० ग्राम	गेहुं
	नमक
	तेल

बनाने की विधि:

१. दाल को नर्म होने तक प्रेशर कूकर में उबालें। उबालने के बाद पूरा पानी बहा दें ।

२. मोटे पैंदे वाले बरतन में दाल को सौंफ, सोंठ, ईलायची, जायफल पाउडर और गुड़ के साथ पानी के भाँप बनकर उड जाने तक उबालें।

३. दाल को पूरण मशीन या मिक्सर में दलें।

४. गेहुं के आटे में नमक व पानी मिला कर नर्म पिण्ड होने तक गूंथे। तेल की पतली पर्त चढ़ा कर एक घंटे तक एक ओर रखें।

५. गूंथे हुए पिण्ड का छोटा टुकड़ा लेकर ४ " व्यास की गोलाई में बेलें। लगभग ४ बड़े चम्मच पका हुआ पूरण उसमें डालें , सूखे आटे की पर्त लगा कर उसे नरमी से बेलें।

६. गर्म तवे पर थोड़े से तेल के साथ दोनों ओर सेंकें।

सौंदर्यवर्धक : रूसी का उपचार

१. अजवाईन:

चार लबालब भरे चम्मच अजवाईन २ कप पानी में डाल कर १० मिनट तक उबालें। बाद में छान कर ठंडा होने दें। इसे शेम्पू किये हुए बालों पर उंडेलें, और सर पर हल्के से मालिश करें। साबुन से न धोयें।

२. शिकाकाई:

शिकाकाई की २-३ फलियाँ २ कप पानी में उबालें। शेम्पू करने के बाद भीगे बालों पर इसे लगायें। २-३ मिनट यूं ही रहने दें। बाद में बालों को धो डालें।

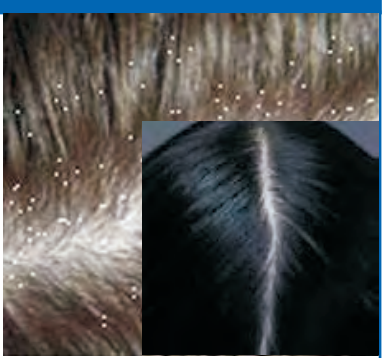

३. बादाम और जैतुन तेल:

छीली हुई बादाम और जैतुन के तेल का ३-४ चम्मच घोल बनायें। सर पर हल्के से मालिश करें। धोने से पूर्व थोड़ा समय जाने दें।

प्रकाशक: डायना रत्नागर
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोलकर
टाईप सेटींग: शशि कुमार
मुद्रण स्थल: मुद्रा प्रिन्टर्स
383 नारायण पेठ, पुणे 411 030
करुणा-मित्र
प्राणिज पदार्थ रहित कागज़ पर
मुद्रित किया जाता है, और प्रत्येक
बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई),
वर्षा (अगस्त) एवं
शिशिर (नवम्बर)
में प्रकाशित किया जाता है।

© करुणा-मित्र का प्रकाशनाधिकार
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है।
प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी
भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री की
अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
टेलिफोन: +91 20 2686 1166 फैक्स: +91 20 2686 1420
ई-मेल: admin@bwcindia.org वेबसाइट: www.bwcindia.org

निजी प्रचलन हेतु
Reg. No. 022203/30/86/AL/TC